

बिहार सरकार
मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

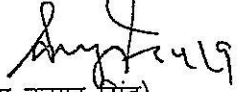
आदेश

संख्या:- V/उ0-10-01/2024-5717/ विभागीय पत्रांक-4384 दिनांक-17.07.2026 के द्वारा बिहार निबंधन सेवा एवं बिहार मद्यनिषेध सेवा के सभी पदाधिकारियों के किसी भी प्रकार के अवकाश का उपभोग विभागीय मुख्यालय के स्वीकृति के बिना नहीं किये जाने का निदेश दिया गया था।

2. कार्यपालिका नियमावली के नियम-21 के अधीन चतुर्थ अनुसूची के भाग-ख स्थापना संबंधी मामलों में शक्तियों के प्रत्यायोजन को ध्यान में रखते हुए समीक्षोपरांत उक्त विभागीय पत्रांक-4384 दिनांक-17.07.2026 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

3. उक्त के आलोक में पूर्व से स्थापित नियम एवं निदेश के आलोक में सभी पदाधिकारियों द्वारा सक्षम प्राधिकार का आदेश प्राप्त कर अवकाश का उपभोग किया जायेगा।

4. सभी प्रकार के अवकाश एच0आर0एम0एस0 प्रणाली के माध्यम से ही स्वीकृत किया जायेगा।

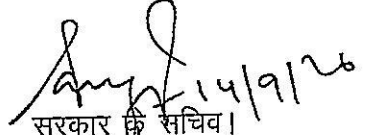

(संजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक:- V/उ0-10-01/2024

5717

पटना, दिनांक:- 14.09.26

प्रतिलिपि:- सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आयुक्त उत्पाद के प्रधान आप्त सचिव/निबंधन महानिरीक्षक के आप्त सचिव/सभी समाहर्ता-सह-जिला निबंधक/उप निबंधन महानिरीक्षक/संयुक्त आयुक्त मद्यनिषेध/सभी उपायुक्त मद्यनिषेध/सभी सहायक निबंधन महानिरीक्षक/सभी सहायक आयुक्त मद्यनिषेध/सभी जिला अवर निबंधक/सभी अधीक्षक मद्यनिषेध/सभी अवर निबंधक/सभी संयुक्त अवर निबंधक/विभागीय आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के सचिव।